

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 2495 /1जी- FP/UK/TRANS/36388/2018 देहरादून: दिनांक: 13 मार्च, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 को प्रत्यावर्तन।

(Online file no- FP/UK/TRANS/36388/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/TRANS/36388/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परियोजना खण्ड (आर0ए0पी0डी0आर0पी0 भाग-बी/आई0पी0डी0एस0) उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0, वि0क0वि0 गबर सिंह, उर्जा भवन, देहरादून।

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 को प्रत्यावर्तन।

(Online file no- FP/UK/TRANS/36388/2018)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु चकराता वन प्रभाग में 3.6 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 3.6 हे0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 7.20 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त विद्युत लाईन निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता तथा वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

तिथि : 13 / 03 / 2019

स्थान : देहरादून